समाहरणालय, अरवल।

(जिला स्थापना शाखा)

कार्यपालक सहायक (Executive Assistant) के पदों पर संविदा पर नियोजन हेतु पैनल निर्माण के लिए आवश्यक सूचना

बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 एवं बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 से संबंधित कार्यों के क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करने एवं अरवल जिले के अन्य कार्यालयों में आवश्यकता के आधार पर Executive Assistant (कार्यपालक सहायक) के पद पर संविदा पर नियोजनार्थ पैनल निर्माण किया जाना है, जिसके लिए भारतीय नागरिकों से जिलावार Online आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं, जिसकी संक्षिप्त विवरणी निम्नवत् है :–

1. अहर्त्ता :–

(i) आयु सीमा :–

Age	UR	EWS	SC	ST	EBC	BC	Female (UR)
Minimum	18	18	18	18	18	18	18
Maximum	37	37	42	42	40	40	40

अभ्यार्थियों के उम्र सीमा की गणना दिनांक 01.04.2019 के आधार पर की जायेगी।

विकलांग अभ्यर्थियों को संबंधित कोटि में अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छुट देय होगी। इस हेतु उन्हें सिविल सर्जन के द्वारा निर्गत 40 प्रतिशत या अधिक विकलांगता का अद्यतन प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा।

(ii) न्यूनतम योग्यता :– आवेदक की शैक्षणिक योग्यता सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक तथा उसे Computer Operating System (M.S.-Word, M.S.-Excel, M.S-Power Point आदि) की बेसिक जानकारी होना अनिवार्य है।

(iii) उनके पास निम्न हार्डवेयर होना चाहिए जिसका उपयोग उन्हें नियोजन के कार्यालय में करना पड़ेगा :–

A.	CPU	Intel Core i3
	Chipset	Intel
	Memory	4 GB (Minimum)
	Hard disk	500 GB
	Monitor	14"-LED (or higher)
	Operating System	Windows 7 (or higher)
	Additional Software	Microsoft office 2010 Adobe PDF Reader. Internet Security (Antivirus) of any Renowned Company
	Browser	Google Chrome
	Additional Hardware	Optical Mouse Optical Keyboard
B.	One Laser Printer	Black & White
C	One UPS	-
D	One Data Card for Internet	1Mbps (minimum)

2. मानदेय :–

नियोजित होने पर अभ्यर्थी को प्रतिमाह कुल 11345/– (ग्यारह हजार तीन सौ पैंतालीस) की एक मुश्त राशि दी जायेगी। कम्प्यूटर हार्डवेयर के लिए अलग से कोई राशि देय नहीं होगी। इसमें लगने वाली Consumable Items (पेपर, कार्टिज आदि) की आपूर्ति नियोजन के कार्यालय द्वारा की जायेगी। Internet Connection का Bill नियोजित अभ्यर्थी द्वारा देय होगा।

3. नियुक्ति अवधि :–

नियोजन अस्थायी रूप से एक वर्ष के लिए होगी एवं आवश्यकतानुसार तथा सेवा संतुष्टि के आधार पर इस बढ़ायी जा सकेगी।

4. **पैनल वैधता :–**

पैनल की वैधता प्रकाशन की तिथि से तीन वर्ष तक होगी।

5. **चयन का आधार :–**

जिला स्तर पर प्राप्त आवेदनों के आधार पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन कमिटी द्वारा पैनल तैयार किया जायेगा, जिससे नियमानुसार आदर्श आरक्षण रोस्टर के अनुरूप नियोजन की कार्रवाई की जाएगी।

6. **आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया :–**

आवेदन अरवल जिला के वेबसाईट www.arwal.bih.nic.in पर उपलब्ध है, जिसे online भरा जाना है। आवेदक को आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर अपना अद्यतन फोटो अपलोड करना होगा। आवेदन पत्र में वर्णित सभी कागजातों/दस्तावेजों की मूल प्रति एवं एक छाया प्रति काउन्सेलिंग के समय बुलाए जाने पर प्रस्तुत करना होगा।

7. आवेदन *Online* करने की ***तिथि 27.06.2019 से 06.07.2019 के अपराह्न 5:00 बजे*** तक निर्धारित है।

8. जिला पदाधिकारी, अरवल को अधिकार होगा कि बिना कोई कारण बताये चयन प्रक्रिया को किसी भी समय स्थगित/रद्द किया जा सकेगा।

जिला पदाधिकारी,
अरवल।